न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार –I

राजस्व आवेदन सं. 156/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
सजन पुत्र तालब, जाति–मुसलमान, नि0 अमी का पार, तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान तहसीलदार गडरारोड़। 2. पारस कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति–राजपूत, नि0 तामलोर, तह0 गडरारोड़ 3. हीरालाल पुत्र लुणकरण 4. गौतमदास पुत्र लुणकरण 5. राजेश कुमार पुत्र लुणकरण 6. सुरेश कुमार पुत्र लुणकरण 7. रेवन्ती देवी पत्नी लुणकरण जाति–माहेश्वरी, नि0 गडरारोड़ तह0 गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री भोपालसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. राज पेरोकार तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–: आदेशः–

दिनांक : –30/12/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा–तामलोर, पटवार मण्डल – तामलोर, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 794/559 रकबा 8.6279 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा मौके पर प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां व पानी के टांके बने हुऐ है। विप्रार्थी संख्या 2 से 7 केता खातेदार है। विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी एवं अन्य पूर्व खातेदारों के मध्य विभाजन को लेकर एक राजस्व वाद बंटवाडा हेतु पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.1981 को डिक्री पर्चा जारी किया गया था और उसकी पालना मे जो नामान्तकरण खोला गया उस समय तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने माननीय न्यायालय के आदेश के विपरीत लट्ठा नक्शा मे तरमीम कर दी जिसकी पूर्व में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी लट्ठा नक्शा मे जो गलत तरमीम दर्ज हुई उसी अनुसार ऑनलाईन नक्शा में भी गलत तरमीम दर्ज कर दी जिससे न्यायालय आदेश की पालना में तैयार नक्शा व लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन नक्शा की तरमीम में भारी भिन्नता उत्पन्न हो गई है। जिसे दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाड़मेर)

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया। विप्रार्थी संख्या 01 से 7 के नोटिस जरिये रजिस्टड डाक से प्राप्त के बावजूद [illegible]। अतः विप्रार्थी सख्या 02 से 7 के विरुद्व दिनांक 15.05.2025 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका फर्द का अवलोकन करने पर पाया कि मौजा–तामलोर के खेत खसरा नम्बर 794/599 रकबा 8.6279 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 795/559, 793/559 व 599 की लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में भिन्नता की जाच अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार **प्रपत्र ब** व वर्तमान तरमीम **प्रपत्र अ** में दर्शाई गई है। लट्ठा ट्रेस व वर्तमान भू–नक्शा मे तरमीम एक समान है। विप्रार्थी संख्या 02 पारस कंवर पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:17:33 IST
Reason: SelfAttested

न्द्रसिंह का कब्जा खसरा नम्बर 556, 560 व 796/560 के लगते है जिसमें एक पक्का टांका का निर्माण किया हुआ है। विप्रार्थी संख्या 03 से 07 तक का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 568 के दक्षिण की तरफ लगता हुआ है। जिसमें 2 पक्के टांके व कच्चा झौपा बना हुआ है। प्रार्थी सजन पुत्र तालब का कब्जा काश्त उपर्युक्त काश्तकार विप्रार्थीगण संख्या 02 के उत्तर दिशा की तरफ व विप्रार्थीगण संख्या 03 से 07 के दक्षिण की तरफ है जिसमें प्रार्थी द्वारा 2 पक्के टांके व एक कच्चा झौपा बना हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौके पर **प्रपत्र ब** अनुसार निर्विवाद रूप से मौके पर काबिज है। अतः **परिशिष्ट ब** अर्थात् मौका कब्जा काश्त अनुसार तरमीन दुरूस्त किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीन दुरूस्त करवाने बाबत् सहमत है। मौका फर्द के संलग्न **नक्शा ट्रेस** अनुसार उभय पक्ष मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीन दुरूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नक्शा ट्रेस में विद्यमान वर्तमान तरमीम एक दुसरे के विपरीत है। अतः मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीन में एकरूपता बनाये रखने के लिए तहसीलदार गडरारोड़ से प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीन दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा–तामलोर, पटवार मण्डल–तामलोर, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 794/599 रकबा 8.6279 हैक्टेयर के लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीन व खसरा नम्बर 795/559, 793/559, 559 रकबा क्रमशः 8.6198, 4.5325, 4.0469 हैक्टेयर की लठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में कि हुई तरमिन को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न **परिशिष्ट ब** नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:17:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 30.[illegible]2025 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)